

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'दो'

[ 24/2/2016 ]

प्रश्न सं. [ क. 1973 ]

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1973

परिशिष्ट—अ

क्र०	योजना का नाम	दिये जाने वाला लाभ	पात्रता की शर्तें
1	2	3	4
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	रूपये 200/- प्रतिमाह रूपये 275/- प्रतिमाह रूपये 500/- प्रतिमाह	<ul style="list-style-type: none"> <li>60 वर्ष से 64 वर्ष आयु के बी.पी.एल वृद्ध ।</li> <li>65 से 79 आयु के बी.पी.एल. वृद्ध ।</li> <li>80 वर्ष से अधिक आयु के बी.पी. एल. वृद्ध ।</li> </ul>
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	रूपये 300/- प्रतिमाह	<ul style="list-style-type: none"> <li>40 से 79 वर्ष आयु की बी.पी.एल. विधवा महिला ।</li> </ul>
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	रूपये 300/- प्रतिमाह	<ul style="list-style-type: none"> <li>18 से 79 वर्ष आयु के बी.पी.एल. निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो ।</li> </ul>
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	रूपये 150/- प्रतिमाह	<ul style="list-style-type: none"> <li>60 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध ।</li> <li>18 वर्ष से 39 वर्ष आयु की बी.पी.एल. विधवा ।</li> <li>18 से 59 वर्ष आयु की बी.पी.एल. परित्यक्ता महिला ।</li> <li>06 से 18 वर्ष आयु तक के बी.पी.एल निःशक्त व्यक्ति जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो ।</li> </ul>
5	मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना	रूपये 500/- प्रतिमाह	<ul style="list-style-type: none"> <li>आयकर दाता न हो ।</li> <li>आवेदक दम्पति में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिये ।</li> <li>दम्पति की केवल पुत्री संतान होना चाहिये ।</li> </ul>
6	6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग / मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिये सहायता अनुदान	रूपये 500/- प्रतिमाह	<ul style="list-style-type: none"> <li>मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है ।</li> <li>निःशक्तता का प्रमाण पत्र जिसमें निःशक्तजन को बहुविकलांग / मानसिक रूप से अविकसित होने का वर्णन हो ।</li> </ul>

उप संचालक(सामा.सहा.)

वास्ते-संचालक

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण